कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 07.04.2021

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 07.04.2021 को एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में M/s Bhimji Velji Sorathia Construction Pvt. Ltd., Adipur (Kutch) द्वारा अनुबंध संख्या 09/2017–18 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Construction of RWR (Diggi) at village Biliya near Pokaran for PFBS Water Supply Project" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयौजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री हृदयेश कुमार जुनेजा, संयुक्त शासन सचिव (व्यय–III), प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री केदारनाथ, संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री अमरजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री राजेश कुमार टेपण, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर।

कार्य एवं विवाद का संक्षिप्त विवरण :–

Construction of RWR (Diggi) at village Biliya near Pokaran for PFBS Water Supply Project के कार्य की निविदा राज्य सरकार द्वारा M/s Bhimji Velji Sorathia Construction Pvt. Ltd., Adipur (Kutch) के पक्ष में राशि रूपये 149,12,67,808/– की स्वीकृत की गई थी। कार्य के गठित अनुबंध संख्या 09/2017–18 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथि कमशः 23.02.2018 एवं 22.02.2020 थी। अनुबंध के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 22.02.2020 तक संवेदक द्वारा राशि रूपये 58.61 करोड़ का ही कार्य निष्पादित किया गया जोकि कार्यादेश राशि रूपये 149,12,67,808/– का लगभग 39.31 प्रतिशत है। कार्य की आवश्यकतानुसार प्रगति नहीं बढाने से विभाग एवं संवेदक के मध्य विवाद उत्पन्न होने के कारण संवेदक फर्म द्वारा अनुबन्ध की धारा 23 के तहत एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी से अपने विवादों के निस्तारण हेतु अपने क्लेम्स प्रस्तुत किये गये।

विभाग की ओर से श्री रामपाल मुन्दियाडा, अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, जोधपुर उपस्थित हुये तथा संवेदक फर्म की ओर से श्री कुवंर जी उपस्थित हुए।

समिति का निर्णय:–

समिति द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड एवं क्लेम्स का अवलोकन एवं दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् यह पाया कि समस्त क्लेम्स जो संवेदक फर्म ने समिति के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किये है उनमें विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करने के लिये अतिरिक्त दरों की मांग की गई है। चूंकि वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है अतः समिति विभाग को यह निर्देश प्रदान करती है कि संवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। इस निर्देश के साथ संवेदक फर्म का आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(राजेश कुमार टेपण) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर	(अमरजीत सिंह) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(केदारनाथ) संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(हृदयेश कुमार जुनेजा) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(नवीन महाजन) प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner